तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/8561/2006/बीकानेर** **मंगलाराम व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री अशोकनाथ योगी, अधिवक्ता प्रार्थी

श्री एन0के0गोयल, अधिवक्ता अप्रार्थी

——

निर्णय

दिनांकः— 23.12.2025

प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 14/1999 बउनवान मांगीलाल बनाम मु0 केसर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मान्याणा, तहसील नोखा में स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 50, 64, 17, 158 कुल किता 4 कुल रकबा 212 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 26 के संयुक्त खातेदारी की है जिस पर सभी सहखातेदार शामलाती तौर पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । परन्तु मु0 अमरी के संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पति में से अपने नाम दर्ज 1/6 हिस्से को अजनबी व्यक्तियों को बेचने पर आमादा होने पर प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदार द्वारा मु0 अमरी के विरूद्ध सहायक कलक्टर (मु0) बीकानेर के समक्ष एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के पेश किया जिसमें न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अपने आदेश दिनांक 20.03.1995 के द्वारा मु0 अमरी के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि वह ताफैसला वाद अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार की मिल्कियत वादग्रस्त भूमि को रहन, बय, मुन्तकिल ना करे । परन्तु अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 20.03.1995 के प्रभावी रहते हुए मु0 अमरी ने वादग्रस्त भूमि के 1/6 हिस्से का बेचान दिनांक 24.01.1996 को कर दिया । तत्पश्चात् सहायक कलक्टर, मु0, बीकानेर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.02.1996 के द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/8561/2006/बीकानेर** **मंगलाराम व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.1996 को स्थगन आदेश जारी किया गया परन्तु तहसीलदार, नोखा ने मिलीभगती करते हुए बेक डेट दिनांक 14.02.1996 को अविधिक एवं शून्य विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण संख्या 9 तस्दीक कर दिया । जिसकी जानकारी होते ही प्रार्थीगण ने अति0जिला कलक्टर, बीकानेर के समक्ष नामांतकरण संख्या 9 के विरूद्ध अपील पेश की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 29.04.1999 के द्वारा स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 9 को निरस्त कर दिया । परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को अति0संभागीय आयुक्त, बीकानेर ने आदेश दिनांक 14.11.2006 को स्वीकार कर विक्रय पत्र के आधार पर पर स्वीकृत नामांतकरण संख्या 9 को बहाल रखा । अति0संभागीय आयुक्त, बीकानेर के उक्त निर्णय दिनांक 14.11.2006 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की है । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय का स्थगन होने के बावजूद तहसीलदार द्वारा नामांतकरण संख्या 9 बेकडेट मे स्वीकृत किया गया है । इसलिये नामांतकरण संख्या 9 निरस्त योग्य था । इसके बावजूद अति0संभागीय आयुक्त, बीकानेर ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य होकर तहसीलदार द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 9 भी निरस्त योग्य है । अतः निगरानी स्वीकार की जावे । विद्वान अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि मण्डल की खण्डपीठ द्वारा इस संबंध में धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत निर्णय किया जा चुका है । अतः यह निगरानी एकलपीठ द्वारा निर्णित नहीं की जा सकती है । अतः निगरानी सारहीन हो गई है । अतः निगरानी खारिज की जावे । हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/8561/2006/बीकानेर** **मंगलाराम व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी तहसीलदार द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 9 14.02.1996 के विरूद्ध पेश की गई है । उक्त निगरानी में अप्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि निगरानीधीन भूमि बाबत् पक्षकारों के मध्य राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 188 के तहत वाद भी चला था जिसका निस्तारण मण्डल की खण्डपीठ द्वारा हो चुका है । चूंकि निगरानीधीन भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत चले वाद का मण्डल की खण्डपीठ द्वारा निस्तारण किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में नामांतकरण संख्या 9 उक्त वाद के निर्णय के अध्यधीन ही माना जावेगा । ऐसी स्थिति में मूल वाद का निस्तारण हो जाने से नामांतकरण संख्या 9 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी भी सारहीन हो चुकी है । परिणामतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सारहीन होने से खारिज की जाती है । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानीसिंह पालावत)** **सदस्य**	